भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल (म.प्र.)

पशु आहार (सुदाना)

वितरक हेतु

<u>आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्तें</u>

पशु आहार संयंत्र पचामा सीहोर (म.प्र.)

P.No. (07562)221132,222783,221135

E-mill - cff.pachama@gmill.com

:: भोपाल दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित भोपाल ::

इकाई :: पशु आहार संयंत्र,पचामा ::

:: प्रमुख दिनांक, समय, प्रतिभूति एवं सुरक्षा निधि ::

क्रमांक	**कार्य का विवरण**	**समय / दिनांक**
1.	आवेदन पत्र प्रदाय प्रारम्भ करने की तिथि व स्थान	दिनांक .... स्थान – पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर
2.	आवेदन पत्र जमा करने का स्थान	कार्यालयीन समय में पशु आहार संयंत्र, पचामा, सीहोर
3.	आवेदन पत्र का शुल्क	रूपये – 100.00 / –
4.	सुरक्षा निधि	रूपये 10,000 / – (रू. दस हजार मात्र) डी.डी. / बैंकर्स चैक '' Cattle Feed Factory Pachama Sehore,
5.	बैंक का नाम एवं खाता क.	G.M.Cattle Feed Factory Pachama Sehore AXIS BANK LTD SEHORE A/C N- 913010056548697 IFS CODE- UTIB0000684

सुदाना पशु आहार वितरक हेतु आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साइज
फोटो
स्वाहस्ताक्षरित

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. फर्म का नाम व पता ....

4. स्थाई पता (प्रमाण सहित)..

....

....

5. वर्तमान पता (प्रमाण सहित) ....

....

6. शैक्षिणिक योग्यता ....

7. जन्म तिथि ....

8. पशु आहार व्यवसाय का अनुभव (प्रमाण सहित)..

....

9. दूरभाष/मोबाईल नं. ....

10.जी एस टी नम्बर ....

11.पैन नम्बर ....

12.वितरक हेतु जिले का नाम ....

13.वर्तमान पशु आहार विक्रय (ब्राण्ड)......................... मात्रा ....

14.सम्भावित सुदाना पशु आहार विक्रय ....

15.भण्डारण क्षमता ....

16.स्थानीय निकाय (नगर निगम/पालिका) का पंजीयन क्रमांक .... दिनांक................

मैने सुदाना पशु आहार वितरकशिप संबंधित इस प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और पूर्णतया मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की गई है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

....

संलग्न – (छाया प्रति)

1. टिन नम्बर प्रमाण पत्र
2. पैन नम्बर प्रमाण पत्र जी.एस.टी. नम्बर
3. परिचय प्रमाण (आई.डी.प्रूफ)
4. स्थानीय निकाय में पंजीयन प्रमाण पत्र
5. स्थाई एवं वर्तमान पते का प्रमाण पत्र
6. नियम व शर्त प्रपत्र हस्ताक्षरित मूल प्रति।
7. जी एस टी नम्बर।

:: <u>भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल</u> ::
<u>इकाई :: पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सीहोर ::</u>
:: <u>पशु आहार के वितरक नियुक्त करने हेतु नियम व शर्ते</u> ::

1. वितरक हेतु आवेदक को रूपये 10000/– (दस हजार रू.मात्र) सुरक्षा निधि जमा करने होगें। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। राशि डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से '' Cattle Feed Factory Pachama Sehore के नाम से बनेगा।
2. वितरक को माल प्रथम आवक एंव प्रथम जावक पद्वति से (फीफो) सुदाना प्राप्त करना होगा।
3. वितरक को कम से कम मात्रा 10 मैं.टन या इससे अधिक मात्रा उठाना होगी। इसका भुगतान **अग्रिम ड्राफ्ट या बैकर्स चैक, आर.टी.जी.एस. अथवा ई–पेमेंट** द्वारा जमा करना होगा।
4. संस्था द्वारा पशु आहार (सुदाना) ट्रक से भेजा जावेगा इसमे होने वाले परिवहन में ट्रक लोडिंग (संयंत्र की अनुमोदित दर पर) व माल उतराई आदि सभी व्यय वितरक को वहन करना होगें।
5. समय–समय पर पशु आहार प्रदाय की दरें व M.R.P. परिवर्तनशील रहेगीं जो कि वितरक को मान्य रहेंगी। वितरक द्वारा पशु आहार मूल पैकिंग को बदला नही जावेगा। संयंत्र प्रांगण से पशु आहार बाहर जाने के बाद माल के वजन में कमी अथवा अन्य शिकायतों से संबंधित किसी प्रकार की जबाबदारी संस्था की नही रहेगी।
6. वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति वितरक द्वारा की जाना होगी तथा पशु आहार पर देय समस्त शासन के टेक्स का भुगतान वितरक द्वारा किया जावेगा।
7. दुग्ध समितियों की मांग पूरी करने के बाद शेष बचा सुदाना ही वितरक को दिया जावेगा इस संबंध में कोई वाद विवाद मान्य नही होगा।
8. संस्था द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से माल की आपूर्ति नही की जाती है तो वितरक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावेदार नही रहेगा।
9. अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने के बाद आगामी एक वर्ष की वृद्वि की जा सकेगी।
10. पशु आहार रखने के गोदाम की पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था वितरक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। किसी भी स्थिति में गीला या खराब सुदाना विक्रय नहीं किया जावेगा।
11. निम्न परिस्थितियों में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।

    (अ) वितरक द्वारा समस्त शर्तों का पालन नही किये जाने पर।

(ब) क्रय कर्ताओं की उत्पाद से संबंधित शिकायत प्राप्ति पर शिकायत में वितरक दोषी पाये जाने पर।

(स) वितरक का पशु आहार विक्रय संतोषप्रद न पाये जाने पर।

12. सफल आवेदक को आवेदन में लिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वितरक आदेश लेने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल एवं सत्य प्रमाण पत्रों के अभाव में वितरकशिप नहीं दी जावेगी।
13. प्रत्येक माह कम से कम 10 मे.टन पशु आहार संयंत्र से वितरक द्वारा क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।
14. वाहन में बिल/चालान से अधिक मात्रा में पशु आहार पाये जाने पर प्रथम वार 10% अर्थदण्ड मात्र वसूल किया जावेगा। पुनरावृत्ति होने पर वितरकशिप निरस्त एवं अमानत राशि राजसात कर फर्म को कालीसूची में दर्ज किया जावेगा जिस हेतु वितरक स्वंय जबावदेह होगा।
15. वितरक को अनुबन्ध में नामिनी घोषित करना होगा, वितरक की मृत्यु की स्थिति में नामिनी संघ की शर्तों को मान्य करने की स्थिति में संघ वितरक नियुक्त कर सकता है।
16. वितरक या दुग्ध संघ 01 माह की अग्रिम सूचना देकर वितरकशिप समाप्त कर सकेगें।
17. दुग्ध संघ के कर्मचारी/अधिकारी/संचालक मण्डल सदस्य एवं परिवार के सदस्य आवेदन के लिए पात्र नहीं रहेंगे।
18. वितरक द्वारा किसी भी स्थिति में दुग्ध समिति से सुदाना पशु आहार प्राप्त नहीं किया जावेगा, ऐसा पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से वितरकशिप निरस्त करते हुये सुरक्षा निधि राजसात कर वितरक को काली सूची में दर्ज किया जावेगा।
19. वितरक को आदेश प्राप्त होने के पूर्व रूपये 1000/— के नॉन ज्सूडिसियल स्टाम्प पेपर में निर्धारित अनुबन्ध तथा सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। सुरक्षा निधि में प्रतिभूति राशि समायोजित की जा सकेगी।
20. एक आवेदक को केवल एक स्थान के लिए वितरकशिप आवंटित की जायेगी।
21. किसी भी स्थिति में न्यायालीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भो.सह.दुग्ध संघ मर्या. भोपाल

उपरोक्त वर्णित क्र0 1 से 21 तक सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम व पूरा पता ....

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक ....को मेसर्स... (प्रथम पक्ष) एवं प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संसंत्र पचामा (द्वितीय पक्ष)के मध्य पशु आहार सुदाना की वितरकशिप हेतु निष्पादित किया गया है।

अनुबंध दिनांक .... से................. तक एक वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा जिसमें उभय पक्षों की सहमति के पश्चात् एक स्वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

दोनो पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अन्य सभी शर्तें वितरकशिप प्रपत्र के अनुसार यथावत रहेगी।

मेरी और से नामिनी श्री/श्रीमति .... होगा/होगी।

द्वितीया पक्ष	प्रथम पक्ष
1 गवाह	1 गवाह
नाम–	नाम–
पता–	पता–
2 गवाह	2 गवाह
नाम–	नाम–
पता–	पता–